

Total No. of Pages : 06

Roll No. ....

**MAPS-06**  
**Indian Politics - II**  
**(भारतीय राजनीति - II)**

**M.A. Political Science (MAPS-10/16)**  
**Second Year**  
**Examination, 2019**

*Time : 3 Hours*

*[Maximum Marks : 100*

**Note :** This paper is of Eighty (80) marks divided into two (02) Sections A and B. Attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

**नोट :** यह प्रश्नपत्र अस्सी (80) अंकों का है जो दो (02) खण्डों, क तथा ख में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है।

**Section-A / खण्ड-क**

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न)

**Note :** Section 'A' contains Five (05) long-answer-type questions of Fifteen (15) marks each. Learners are required to answer any three (03) questions only. **(3×15=45)**

S-248

P.T.O.

(2)

**नोट :** खण्ड 'क' में पाँच (05) दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए पन्द्रह (15) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल तीन (03) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Discuss briefly the nature of the Constituent Assembly of India as a sovereign and truly representative body Also examine its approach to Constitution making.

भारतीय संविधान सभा के सम्प्रभु एवं वास्तविक प्रतिनिधात्मक स्वरूप की विवेचना कीजिये। संविधान निर्माण के सम्बन्ध में उसके दृष्टिकोण का भी परीक्षण कीजिये।

2. 'No Fundamental Right is absolute'. Discuss this statement in the context of Indian Constitution.

'कोई भी मौलिक अधिकार सम्प्रभु नहीं है।' भारतीय संविधान के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिये।

3. 'The Prime Minister of India is, in operation, the most powerful head of the executive and the legislative organs of the Government'. Do you agree or disagree with this view ? Give reasons in support of your answer.

S-248

(3)

भारत का प्रधानमंत्री, व्यावहारिक दृष्टि से सरकार की कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका अंगों का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रमुख है। क्या आप इस मत से सहमत हैं अथवा असहमत ? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दें।

4. Critically examine the theory and practice of the judicial Review in India with reference to the leading cases.

प्रमुख वादों के संदर्भ में भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धान्त एवं व्यवहार में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

5. It is not constitutional law but political factors that ultimately determine union-state relations in India. Do you agree with this view ? Give reasons in support of your answer.

अन्ततः संविधानिक कानून नहीं अपितु राजनीतिक तत्व केन्द्र राज्यों के सम्बन्धों का निर्धारण करते हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं ? सकारण उत्तर दीजिये।

(4)

### Section-B / खण्ड-ख

(Short-Answer-Type Questions) / (लघु उत्तरों वाले प्रश्न)

**Note :** Section 'B' contains Eight (08) short-answer-type questions of Seven (07) marks each. Learners are required to answer any Five (05) questions only. (5×7=35)

**नोट :** खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरों वाले प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए सात (07) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल पाँच (05) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. भारत में अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों के वर्तमान कार्यकलाप की स्थिति क्या है ? समझाइये।

What is the current state of affairs of Interstate relations in India ? Elaborate.

2. नीति निदेशक सिद्धान्तों के महत्व की विवेचना कीजिये।

Discuss the significance of Directive principles of state policy.

3. भारत में राष्ट्र निर्माण की मुख्य समस्याओं का परीक्षण कीजिये।

Examine the main problems of nation building in India.

(5)

4. राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों की विवेचना कीजिये।

Discuss the discretionary by powers of the Governor.

5. 'न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक विधायन बन गया है' इस कथन पर टिप्पणी कीजिये।

'Judicial review has become judicial legislation'. Comment on this statement.

6. भारत में विकास की राजनीति को अवरुद्ध करने वाले कारकों की विवेचना कीजिये।

Discuss the factors which hamper Development-politics in India ?

7. संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के मुख्य उपबन्धों को समझाइये।

Explain the main provisions of 73rd Amendment Act of the Constitution.

8. भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाये गये चुनाव सुधारों का मूल्यांकन कीजिये।

Evaluate the electoral reforms suggested by the Election Commission of India.